

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला - जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 183/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/319

प्रार्थीगण

1. जोगसिंह पुत्र स्व. भवरसिंह
2. फोजराज सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
3. राणीदान सिंह पुत्र स्व. भवरसिंह निवासी जवार जी की ढाणिया, बालेसर सत्ता तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मदनसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 29/11/25

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

प्रार्थीगण के पिता स्व. भंवरसिंह पुत्र धनसिंह के नाम से संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पेहपनगर पटवार हल्का खारीबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 810, 811, 812, 812/2508, 812/2509, 812/2510, 780 एवं मौजा हिम्मतनगर के खसरा नम्बर 2321 की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम गायड सिंह पुत्र धनसिंह लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम गायड सिंह पुत्र धनसिंह लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक सही नहीं नाम भंवरसिंह पुत्र धनसिंह है। उपरोक्त खसरान की भूमि सामलाती खातेदारी की भूमि है प्रार्थीगण के पिता स्व. भवरसिंह के हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। भवरसिंह का देहान्त 05.03.2010 को हो गया है। प्रार्थीगण के पिता के नाम से परिचय पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेजात तथा ग्राम जलन्धरनगर पटवार हल्का जलन्धरनगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 1763 की भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरसिंह पुत्र धनसिंह लिखा हुआ है। प्रार्थीगणों द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम पेहपनगर पटवार हल्का खारीबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 810, 811, 812, 812/2508, 812/2509, 812/2510, 780 एवं मौजा हिम्मतनगर के खसरा नम्बर 2321 में प्रार्थीगण के पिता के नाम गायडसिंह के स्थान पर भंवरसिंह शूद्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गायडसिंह पुत्र



उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर


धनसिंह दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता के नाम से परिचय पत्र, राशनकार्ड व ग्राम जलन्धरनगर की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम भवरसिंह पुत्र धनसिंह दर्ज है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगणों के पिता का नाम शुद्ध करने का अनुरोध किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में सहखातेदार कल्याणसिंह पुत्र सुमेर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें शपथकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में मेरे चचेरे भाई का नाम गायडसिंह दर्ज है जो गलत दर्ज है जबकि मेरे भाई का सही नाम भवरसिंह पुत्र धनसिंह है। भवरसिंह एवं गायडसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

अतः पत्रावली में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, अप्रार्थी का जवाब एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम पेहपनगर पटवार हल्का खारीबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 810, 811, 812, 812/2508, 812/2509, 812/2510, 780 एवं मौजा हिम्मतनगर के खसरा नम्बर 2321 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गायडसिंह पुत्र धनसिंह के स्थान पर गायडसिंह उर्फ भवरसिंह पुत्र धनसिंह नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में प्रार्थीगणों के पिता का नाम शुद्ध करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करें।

फ़ैसला आज दिनांक 29/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया




(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर